SA-250 (R)
वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण में सन्नियमों तथा नियमों का विचार

Q. 01 सन्नियमों तथा नियमों की अवमानना (Non-compliance) से क्या आशय हैं ?

Ans: अवहेलना का आशय है एक उपक्रम द्वारा भूल से किया गया ऐसा कार्य चाहे उसे इरादतन किया गया हो अथवा गैर–इरादतन तरीके से किया गया है जो प्रचलित कानून तथा विनिमय के प्रतिकूल हो। अवमानना में प्रबंधन के लिये प्रभारित व्यक्तियों , उपक्रम के प्रबंध तथा कर्मचारियों द्वारा किया गया निजी दुर्व्यवहार शामिल नहीं है। (जो उपक्रम की व्यापारिक गतिविधियों से अलग है)

Q. 02 उपरोक्त के संबंध में अंकेक्षक के क्या कर्तव्य है ?

Ans: SA-250 (R) के अनुसार सन्नियमों एवं नियमों की अवमानना परखने हेतु अंकेक्षक का यह कर्तव्य है कि :–

01. उपक्रम के वातावरण को समझने का दायित्व :–

वह उपक्रम के वातावरण को समझे तथा साथ ही उसे –

a. उपक्रम , उद्योगों अथवा क्षेत्र जिसमें उपक्रम का संचालन होता है , उस पर लागू होने वाली कानूनी तथा विनियमक संरचना के बारे में , तथा

b. उपक्रम , कैसे उस संरचना का पालन करता है आदि के बारे में एक सामान्य सूझबूझ प्राप्त करना चाहिये।

02. पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने का दायित्व :–

अंकेक्षक को उन सन्नियमों तथा नियमों के प्रावधानों का पालन करने के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिये जो कि वित्तीय विवरणों में सुनिश्चित की गई महत्वपूर्ण राशियों तथा प्रकटीकरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते है।

03. प्रविधियों को निष्पादित करने का दायित्व :–

अंकेक्षक को निम्नलिखित अंकेक्षण प्रविधियों का पालन करना चाहिये जो अन्य सन्नियमों तथा नियमों की अवमानना (Non-compliance) के वाकयों (Instances) को पहचानने में सहायता करती है तथा जो वित्तीय विवरणों पर सारवान प्रभाव डाल सकती है।

(A) प्रबंध तथा प्रबंधन के लिये प्रभारित व्यक्ति से जैसा भी उचित हो , पूछताछ करना क्या उपक्रम द्वारा ऐसे सन्नियमों तथा नियमों का पालन किया जाता है , तथा

(B) संबंधित लाइसेसिंग अथवा विनियमन प्राधिकरण के साथ , पत्र–व्यवहारों (Correspondance) की जॉच करना (यदि कोई है तो)

04. सतर्क रहने का दायित्व :–

अंकेक्षक को इस संभावना के प्रति सतर्क रहना चाहिये कि यदि सन्नियमों तथा नियमों के अन्य अंकेक्षण प्रक्रिया लागू की जायेगी तो वह अवमानना तथा संदेहास्पद अवमानना (Suspected Non-compliance) के उदाहरण सामने आ सकते हैं।

05. प्रबंध द्वारा विवरण प्राप्त करने का दायित्व :–

अंकेक्षक को प्रबंध से , तथा (जहॉ उपयुक्त हो वहॉ) प्रबंधन के लिये प्रभारित व्यक्तियों से सन्नियमों तथा नियमों के संबंध में उन सभी ज्ञात अवमाननाओं (Non-compliance) अथवा संदेहास्पद अवमाननाओं (Suspected non-compliance) के उदाहरणों का एक लिखीत विवरण मॉगना चाहिये , जिनके प्रभावों को उस समय ध्यान में रखना आवश्यक है जब तैयार किये गये वित्तीय विवरण अंकेक्षक के सामने रखे किये जाते हैं।

Q. 03 उन परिस्थितियों में अंकेक्षक को कौनसी अंकेक्षण प्रविधियों को लागू करना चाहिये जब अवमानना को पहचान लिया गया है अथवा वह संदेहास्पद हैं ?

Ans: जब अंकेक्षक को सन्नियमों तथा नियमों के संबंध में अवमाननाओं अथवा संदेहास्पद अवमाननाओं की जानकारी प्राप्त होती है तब अंकेक्षक को –

(A) उन गतिविधियों तथा परिस्थितियों की प्रकृति की समझ प्राप्त करना चाहिये जिनमें वह उत्पन्न हुआ है।

(B) वित्तीय–विवरणों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिये अतिरिक्त सूचनाओं को प्राप्त करना चाहिये।

यदि अंकेक्षक को इस बात का संदेह होता है कि सन्नियमों तथा नियमों की अवमानना हो सकती है तो अंकेक्षक को इस विषय पर प्रबंध तथा (जहॉ उपयुक्त हो) वहॉ प्रबंधन के लिये प्रभारित

CA Aseem Trivedi

व्यक्तियों के साथ विचार–विमर्श करना चाहिये। यदि प्रबंध तथा प्रबंधन के लिये प्रभारित व्यक्ति इस बारे में पर्याप्त सूचना प्रदान नहीं करते हैं , जो इस बात का समर्थन करें कि उपक्रम द्वारा सन्नियमों तथा नियमों का पालन किया जाता हैं , तथा अंकेक्षक का निर्णय है कि संदेहास्पद अवमानना वित्तीय विवरणों के लिये महत्वपूर्ण हो सकते हैं तो अंकेक्षक के लिये यह आवश्यक हैं कि वह इस संबंध में एक कानूनी सलाह प्राप्त करे। यदि अंकेक्षक को संदेहास्पद अवमाननाओं के बारे में पर्याप्त सूचना अथवा जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो अंकेक्षक को अपनी राय के प्रति , पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य की कमी का मूल्यांकन कर लेना चाहिए एवं ऐसी परिस्थिति में वह अपनी राय सुरक्षित रख सकता है।

Q. 04 एक अंकेक्षण के अंतर्गत सन्नियमों तथा नियमों की अवमानना करने के संबंध में अंकेक्षक के प्रतिवेदन कर्तव्य क्या हैं ?

Ans: उस दशा में जहॉ व्यापार के प्रबंध में , प्रबंध के लिये प्रभारित व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है वहॉ अंकेक्षक को सन्नियमों तथा नियमों की अवमानना का शामिल करते हुये उन विषयों पर प्रबंधन के लिये प्रभारित व्यक्तियों के साथ बातचीत करना चाहिये जो अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षक की जानकारी में आये है। यदि अंकेक्षक को लगता है कि सन्नियमों तथा नियमों की अवमानना इरादतन (Intentianal) तथा महत्वपूर्ण है , तो अंकेक्षक को जितनी जल्दी व्यवहारिक हो उतनी जल्दी प्रबंधन के लिये प्रभारित व्यक्ति के साथ विचार–विमर्श कर लेना चाहिये। यदि अंकेक्षक को इस बात का संदेह होता है कि प्रबंध तथा प्रबंधन के लिये प्रभारित व्यक्ति दोनों ही सन्नियमों तथा नियमों की अवमानना में शामिल हैं , तो अंकेक्षक को उपक्रम के अगले उच्च स्तर के प्राधिकरण के साथ (यदि विद्यमान है) विचार विमर्श करना चाहिये , जैसे कि अंकेक्षण समिति अथवा पर्यवेक्षक मंडल (Supervisary board) जहॉ उच्च प्राधिकरण विद्यमान नहीं है , अथवा अंकेक्षक यह विश्वास रखता है कि विचार–विमर्श नहीं किया जा सकता हैं अथवा वह यह सुनिश्चित नहीं कर पाता है कि किस व्यक्ति को रिर्पोट की जाये तो अंकेक्षक को एक कानूनी सलाह प्राप्त कर लेना चाहिये।

Q. 05 अंकेक्षण प्रतिवेदन पर अवमानना (Non-compliance) के क्या प्रभाव होंगे ?

Ans: 01. जब अंकेक्षक के पास इस बात के पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य उपलब्ध हैं कि अवमानना विद्यमान है :–

यदि अंकेक्षक इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि अवमाननाओं का वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है तथा जिन्हें वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया है तो SA-700 के अनुसार अंकेक्षक को वित्तीय विवरणों पर एक मर्यादित अथवा विपरीत राय देना चाहिये।

02. जब अंकेक्षक के कार्यक्षेत्र पर प्रतिबंध लगाया गया है :–

यदि प्रबंध तथा प्रबंध के लिये प्रभारित व्यक्तियों द्वारा अवमानना के संबंध में अंकेक्षक पर , पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिये कोई प्रतिबंध लगाया जाता है तो अंकेक्षक को SA-700 के अनुसार अंकेक्षण के कार्यक्षेत्र पर प्रतिबंध के आधार पर वित्तीय विवरणों पर एक मर्यादित राय तथा राय की मनाही (Disclaimer of opinion) देना चाहिये।

इसके अतिरिक्त , यदि अंकेक्षक सन्नियमों तथा नियमों की अवमाननाओं तथा संदेहास्पद अवमाननाओं को पहचान लेता हैं तो अंकेक्षक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि , क्या उसका यह दायित्व है कि वह उपक्रम के बाहरी पक्षकारों को पहचाने गये अथवा संदेहास्पद अवमाननाओं के बारे में रिर्पोट करे।

CA Aseem Trivedi